

Daily Current Affairs

Date : 14 August, 2025



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	जोधपुर-पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (JPMIA)
2.	ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी - हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड
3.	बीज महोत्सव - 2025
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. 'राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कोष': प्रो. एसएन दुबे 2. प्रोफेसर गिरिराज शर्मा 3. प्रोफेसर डॉ. राजीव नेमा 4. 'पढ़ाई विद AI' पहल - टोंक 5. देश की पहली मोटरबाइक एंबुलेंस सुविधा 6. 'जलवायु-अनुकूल कृषि तालाब मॉडल'
5.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) - प्रमुख पहलें
6.	तातो-द्वितीय जल विद्युत परियोजना
7.	खान और खनिज (संशोधन) विधेयक, 2025
8.	राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025
9.	सेवा भोज योजना
10.	महिलाओं का कौशल उन्नयन
11.	व्यापार करने में सुगमता


-: 1 :-

Daily Current Affairs

Date : 14 August, 2025



12.	किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रमुख सुधार
13.	डिजिटल कृषि मिशन
14.	हरित रोजगार सृजन - संसद प्रश्न
15.	जलवायु-लचीला रोजगार योजना
16.	एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 : भारत का प्रदर्शन



-: 2 :-

राजस्थान परिदृश्य

जोधपुर-पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (JPMIA)

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान में विकसित हो रहे राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र 'जोधपुर-पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया' के डवलपमेंट का कार्य रीको द्वारा शुरू किया गया।



➔ मुख्य बिंदु :

- यह प्रदेश का पहला औद्योगिक एरिया होगा जो पूरी तरह अभय कमांड के दायरे में रहेगा।
- जोधपुर-पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (JPMIA) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) का हिस्सा है।

- JPMIA मास्टर प्लान 2042, पाली जिले की रोहट तहसील के 9 गांवों को कवर करता है, जिसे राजस्थान नगरीय सुधार अधिनियम, 1959 के तहत अधिसूचित किया गया था। साथ ही, JPMIA मास्टर प्लान-2042 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2016 के तहत विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने अगस्त, 2024 में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 12 नए औद्योगिक नोड/शहरों को स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका अनुमानित निवेश ₹28,602 करोड़ है।

12 नए औद्योगिक नोड/शहर:

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1.	खुरपिया	उत्तराखंड
2.	राजपुरा-पटियाला	पंजाब
3.	दिघी	महाराष्ट्र
4.	पलक्कड	केरल
5.	आगरा और प्रयागराज	उत्तर प्रदेश
6.	गया	बिहार
7.	जहीराबाद	तेलंगाना
8.	ओर्वाकल और कोप्पर्थी	आंध्र प्रदेश
9.	जोधपुर-पाली	राजस्थान

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP)

- 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम' भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकसित करना और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना है।
- भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो दुनिया के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

NICDP के तहत प्रस्तावित 11 कॉरिडोर:

- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC)
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)
- चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC)
- विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC)
- बेंगलुरु-मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC)
- ओडिशा आर्थिक गलियारा (OEC)
- हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारा (HNIC)
- हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक गलियारा (HWIC)
- हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (HBIC)
- कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक CBIC का विस्तार।
- दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा (DNIC)

ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी - हिन्दुस्तान जिंक

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स (ICMM)' में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी।

➔ मुख्य बिन्दु:

- हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड वर्ष 2021 के बाद ICMM में शामिल होने वाली विश्व की एकमात्र कंपनी है।
- ICMM दुनिया की 25 अग्रणी खनन और धातु कंपनियों का नेतृत्व करने वाला निकाय है, जो खनन मूल्य श्रृंखला में सतत विकास, पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं की देखरेख करता है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) वेदांता समूह की एक कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 चांदी उत्पादकों में से एक है।
- स्थापना : वर्ष 1966 में।
- मुख्यालय : उदयपुर (राजस्थान)
- इस कंपनी ने वर्ष 2024 में इकोजेन (EcoZen) लॉन्च किया, जो एशिया का पहला 'लो कार्बन ग्रीन जिंक' ब्रांड है।



HINDUSTAN ZINC
Zinc & Silver of India

बीज महोत्सव - 2025

➔ चर्चा में क्यों?

- बांसवाड़ा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी सीमा में चार दिवसीय बीज महोत्सव - 2025 का आयोजन किया गया।



➔ मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य** : स्वदेशी बीजों के सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व का प्रदर्शन करना।
- इस महोत्सव में पारंपरिक फलों के बीजों में जंगली आम, आकोल और टिमरू शामिल थे, जबकि पारंपरिक अनाज में देशी मक्का, काली कामोद और ढिमरी की धान की किस्में शामिल की गईं।
- इस महोत्सव में बीज संरक्षण में योगदान के लिये समुदाय के सदस्यों को 'बीज मित्र' तथा 'बीज माता' जैसे सम्मान प्रदान किये गए।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL)

- स्थापना : 28 मार्च, 1978 को राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत।
- RSSCL गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और आपूर्ति के लिए राज्य में नोडल एजेंसी है। वर्तमान में RSSCL के पास 22 बीज प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जिनकी कुल प्रसंस्करण क्षमता 12.58 लाख क्विंटल प्रति वर्ष और भंडारण क्षमता 10.21 लाख क्विंटल है।

Daily Current Affairs


Date : 14 August, 2025



- नोट : राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणन एजेंसी (RSSOCA) उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और जैविक उत्पादों के प्रमाणन का कार्य करती है। यह एजेंसी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, किसानों का समर्थन करने, फसल उत्पादकता सुधारने और बाजार तक पहुँच को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।



न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>'राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कोष': प्रो. एसएन दुबे</p> <ul style="list-style-type: none">◆ हाल ही में, जयपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने वरिष्ठ इतिहासकार प्रो. एसएन दुबे की पुस्तक 'राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कोष' का विमोचन किया।◆ इस पुस्तक में लेखक ने विभिन्न कालखंडों में राजस्थान के इतिहास की विभिन्न विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। 
2.	<p>प्रोफेसर गिरिराज शर्मा</p> <ul style="list-style-type: none">◆ हाल ही में, नई दिल्ली स्थित रविंद्र सदन में नेशनल आर्ट एग्जीबिशन का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 

- ◆ इस कार्यक्रम में जयपुर के प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को 'कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन' की कृति के लिए केंद्र सरकार की ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया।

3.

प्रोफेसर डॉ. राजीव नेमा

- ◆ हाल ही में, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के बायोसाइंसेज विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजीव नेमा ने अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के एक दल के साथ मिलकर समीक्षा लेख प्रकाशित किया।
- ◆ यह लेख 'मॉलिक्यूलर कैंसर' नामक विश्व के प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजी जर्नलों में प्रकाशित हुआ है।
- ◆ प्रोफेसर डॉ. राजीव नेमा द्वारा किया गया यह अध्ययन औरोरा काइनेजेस नामक एंजाइम समूह पर केंद्रित है, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.

'पढ़ाई विद AI' पहल - टॉक

- ◆ विद्यालयी शिक्षा के परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से टॉक में 'पढ़ाई विद AI' पहल की शुरुआत की गई है।

- ◆ कठिन विषयों में छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित इस पहल के माध्यम से जिले में पढ़ाई का स्तर सुधर रहा है।

5.

देश की पहली मोटरबाइक एंबुलेंस सुविधा

- ◆ हाल ही में, पशुपालन विभाग की ओर से जयपुर में देश की पहली मोटरबाइक एंबुलेंस सुविधा को स्वीकृति प्रदान की गई।
- ◆ इस मोटरबाइक एंबुलेंस में स्ट्रीट डॉग्स व बेसहारा गायों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा वहीं पालतू कुत्तों व अन्य पालतू पशुओं के लिए एंबुलेंस सुविधा का कोई भुगतान नहीं करना होगा लेकिन इलाज का खर्च उनके मालिकों को वहन करना होगा।

6.

'जलवायु-अनुकूल कृषि तालाब मॉडल'

- ◆ हाल ही में, जयपुर के कूकस में 50 जलवायु-अनुकूल कृषि तालाबों का उपयोग करते हुए एक नए जल संरक्षण मॉडल की शुरुआत की गई है। इस मॉडल का लक्ष्य राज्य के शुष्क भूभाग में 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण करके किसानों को लाभान्वित करना है।

Daily Current Affairs

Date : 14 August, 2025



- ◆ इस पहल का नेतृत्व IIT खड़गपुर की पूर्व छात्रा और नीति आयोग की पूर्व अधिकारी विप्रा गोयल कर रही हैं।
- ◆ राजस्थान में आमेर ब्लॉक में कूकस ग्राम पंचायत वर्षा जल संचयन पहल के लिए चुना गया दूसरा स्थान है, इससे पहले यह परियोजना दौसा जिले में सफलतापूर्वक संचालित की गई।



-: 12 :-

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) - प्रमुख पहलें

→ चर्चा में क्यों?

- इससे संबंधित जानकारी सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

एनसीडीसी की योजनाएँ:

- युवा सहकार: नव गठित सहकारी समितियों को नवाचार और नए विचारों से प्रोत्साहित करना।
- आयुष्मान सहकार: अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए।
- नंदिनी सहकार: महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमिता और आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार।
- डेयरी सहकार: सहकारी डेयरी व्यवसाय में ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से संबंधित गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता।
- स्वयं शक्ति सहकार योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता।
- दीर्घकालिक कृषक पूंजी सहकार योजना: कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम प्रदान करना।
- कृषि सहयोग के लिए पूर्वर्ती केंद्रीय क्षेत्र योजना: सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) को सशक्त करने के लिए।

Daily Current Affairs


Date : 14 August, 2025



Fact for prelims:

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC):

- उत्पत्ति: इसे 1963 में एक वैधानिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- मंत्रालय: सहकारिता मंत्रालय।
- उद्देश्य: सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कृषि उपज, पशुधन आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उन्हें बढ़ावा देना।



तातो-द्वितीय जल विद्युत परियोजना

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में तातो-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी।

परियोजना का उद्देश्य और विवरण

- परियोजना का नाम: तातो-द्वितीय जल विद्युत परियोजना
- स्थान: अरुणाचल प्रदेश, शि योमी जिला
- निर्माण अवधि: 72 महीने (6 साल)
- स्थापना क्षमता: 700 मेगावॉट (4 x 175 मेगावॉट)

साझेदारी और कार्यान्वयन:

- परियोजना का कार्यान्वयन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम से होगा।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप परियोजना का कार्यान्वयन।

खान और खनिज (संशोधन) विधेयक, 2025

→ चर्चा में क्यों?

- 12 अगस्त, 2025 को लोकसभा में भारत के खनिज में पारदर्शिता और खनिज अन्वेषण का विस्तार करने के लिए खान और खनिज (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया।



→ मुख्य बिन्दु :

- यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करेगा।

मुख्य संशोधन :

- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट (NMEDT) : राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम परिवर्तित कर NMEDT कर दिया तथा इसके उद्देश्यों में महत्वपूर्ण खनिजों (Critical minerals) के लिए अपतटीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण को शामिल करना है।

Daily Current Affairs

Date : 14 August, 2025



- महत्वपूर्ण खनिज के खनन को प्रोत्साहित करना : महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों और अन्य निर्दिष्ट खनिजों को शामिल करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना और चांदी जैसे खनिज शामिल हैं।
- "मिनरल एक्सचेंज" की स्थापना : यह खनिजों, कंसन्ट्रेट और धातुओं सहित संसाधित स्वरूपों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा।
- कैप्टिव माइंस : 1 वर्ष में उत्पादित खनिजों का 50 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति है। यह विधेयक खनिजों की बिक्री की सीमा को हटाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक है, परिष्कृत तांबे में शीर्ष 10 उत्पादकों में से एक है और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025

➔ चर्चा में क्यों?

- 11 अगस्त, 2025 को संसद ने राज्यसभा की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है।



➔ मुख्य बिन्दु :

- पेश : खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 :

- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनके कामकाज को विनियमित करने का प्रावधान करता है।

- महासंघ की स्थापना : विधेयक में प्रत्येक निर्दिष्ट खेल के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघों की स्थापना का प्रावधान है।
 - यह राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतरराष्ट्रीय निकायों से संबद्ध होंगे।
 - प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय का एक सामान्य निकाय होगा, जिसमें प्रत्येक संबद्ध सदस्य के समान संख्या में प्रतिनिधि और कुछ पदेन सदस्य होंगे।
 - इसकी एक कार्यकारी समिति होगी जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम दो उत्कृष्ट खिलाड़ी और चार महिलाएँ होंगी।
- राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना : केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है जो राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों को पंजीकृत करेगा।
- राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना : खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 : राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करता है।
- यह अधिनियम खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करते हुए डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी करता है तथा उल्लंघनों के परीक्षण, प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) की स्थापना : यह डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) की स्थापना करता है।

- राष्ट्रीय खेल डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना : यह NADA की गतिविधियों की देखरेख करने और केंद्र सरकार को डोपिंग रोधी नियमों पर सलाह देने के लिए राष्ट्रीय खेल डोपिंग रोधी बोर्ड की भी स्थापना करता है।
- यह विधेयक राष्ट्रीय खेल डोपिंग रोधी बोर्ड को अनुशासन पैनल और अपील पैनल से उनके कार्यों के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

मानसून सत्र, 2025 के दौरान पारित किए गए विधेयक :

1. बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक, 2024
2. समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक, 2024
3. तटीय नौवहन विधेयक, 2024
4. मर्चेन्ट शिपिंग बिल, 2024
5. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
6. आयकर विधेयक, 2025
7. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025- अध्यादेश का स्थान लेगा
8. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
9. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
10. राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025
11. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025

योजनाएँ

सेवा भोज योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 'सेवा भोज योजना' के संदर्भ में लोकसभा में जानकारी दी।



मुख्य बिन्दु:

- सेवा भोज योजना का मुख्य उद्देश्य

धार्मिक/धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा जनता को मुफ्त भोजन वितरण के लिए किए गए कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर सीजीएसटी और आईजीएसटी में केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति करना है। यह वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

दायरा:

- यह योजना केवल उन्हीं धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं पर लागू होती है जो जनता/श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन प्रदान करती हैं।
- इसके अंतर्गत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) में केन्द्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाती है।

वित्तीय सहायता के लिए मानदंड:

पात्र संस्थाएँ:

- आयकर कानून की धारा 10(23BB) या धारा 12AA के तहत धर्मार्थ/धार्मिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट, सोसायटी, निगमित निकाय या कंपनी।
- या सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएँ।

धार्मिक/धर्मार्थ गतिविधियाँ:

- संस्थाओं को मुफ्त भोजन, लंगर, प्रसाद, भंडारा जैसे परोपकारी कार्यों में शामिल होना चाहिए।
- ये सेवाएँ मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों, वक्फ, चर्चों या धार्मिक पूजा स्थानों पर बिना किसी भेदभाव के दी जाती होनी चाहिए।

पात्रता की शर्तें:

- आवेदन करने से पूर्व संस्था को कम से कम तीन वर्षों तक सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए।
- केवल वे संस्थाएँ पात्र होंगी जो तीन वर्षों से मुफ्त भोजन वितरण कर रही हों।
- संस्थाएँ यह स्व-प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगी।

वित्तीय सहायता की शर्तें:

- केवल वे संस्थाएँ पात्र होंगी जिनको केंद्र/राज्य सरकार से कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
- संस्थाओं को स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह साबित किया जाएगा कि उन्हें सरकार से कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

नियमितता और उद्देश्य:

- संस्थाओं को कम से कम 5000 लोगों को मुफ्त भोजन वितरित करना होगा हर कैलेंडर माह में।
- एफसीआरए या केंद्र/राज्य सरकार के कानूनों/नियमों के तहत काली सूची में शामिल संस्थाएँ इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

महिलाओं का कौशल उन्नयन

➔ चर्चा में क्यों?

- महिलाओं का कौशल उन्नयन के संबंध में जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान द्वारा लोकसभा में लिखित उत्तर में दी गई।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य

■ लक्ष्य:

- गरीबी उन्मूलन
- ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार
- कौशल विकास

प्रमुख योजनाएँ:

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

■ उद्देश्य:

- 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना।
- नौकरियों में भागीदारी को सुगम बनाना और न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक वेतन वाली नौकरियों का अवसर देना।

■ विशेषताएँ:

- कौशल विकास: ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना।
- समाजिक समावेशन:
 - अनुसूचित जाति/जनजाति (50%)
 - महिलाओं (33%)

➤ दिव्यांगजनों (5%)

- प्रशिक्षण: जून 2025 तक 17.51 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 9.05 लाख महिलाएँ (51.7%) शामिल हैं।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

- संस्थापक: बैंक-संचालित, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित।
- उद्देश्य:
 - स्वरोजगार और वेतनभोगी रोजगार हेतु युवाओं को प्रशिक्षण देना।
- विशेषताएँ:
 - 18-50 वर्ष आयु के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर।
 - सुविधाएं:
 - बैंक द्वारा प्रशिक्षण।
 - प्रशिक्षण खर्च: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन।
 - सक्षम अभ्यर्थियों को वेतन वाली नौकरी/स्वरोजगार भी मिलता है।

आर्थिक परिदृश्य

व्यापार करने में सुगमता

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राज्य सभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में इससे संबंधित जानकारी दी है।

विदेश सूचीकरण और ऑनलाइन अधिनिर्णयन:

- भारत सरकार ने विदेशी सूचीकरण, ऑनलाइन अधिनिर्णयन, तेजी से विलय और सरलीकृत कंपनी पंजीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
- ये कदम कॉरपोरेट अनुपालन बोझ को सरल करने और स्टार्टअप्स सहित सभी कंपनियों के लिए लागत कम करने का प्रयास हैं।

महत्वपूर्ण कदम (2024-25):

विदेशी सूचीकरण:

- भारत की सार्वजनिक कंपनियों को अब प्रत्यक्ष विदेशी क्षेत्राधिकारों में सूचीबद्ध होने की अनुमति है।
- कंपनी (अनुमत क्षेत्राधिकार में इक्विटी शेयरों की सूची) नियम, 2024 24 जनवरी को अधिसूचित किया गया।

केवाईसी डेटाबेस संशोधन:

- कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 में संशोधन (01 अगस्त 2024 से लागू) से निदेशकों के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ईमेल पते को अपडेट करने के लिए अतिरिक्त अवसर दिए गए।

भौतिक सुनवाई समाप्त:

- कंपनी (दंड का न्यायिक निर्णय) नियम, 2014 में संशोधन (16 सितंबर 2024 से लागू) से भौतिक सुनवाई को समाप्त किया गया और अब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायिक निर्णय लिया जाएगा।

विलय के नियम:

- कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 में 09 सितंबर 2024 को संशोधन किया गया। अब, विदेशी होल्डिंग कंपनी और भारत में निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का विलय केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करेगा, जिससे प्रक्रिया तेज़ होगी।

सी-पेस (त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र):

- सी-पेस को 01 मई 2023 से शुरू किया गया, जो स्वैच्छिक समापन और एलएलपी बंद करने के मामले में केंद्रीकृत और पारदर्शी प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।

कंपनियों के शीघ्र पंजीकरण के लिए कदम:

एसपीआईसीई+ वेब फॉर्म:

- एगाइल प्रो-एस के साथ एसपीआईसीई+ नामक एक नया वेब फॉर्म तैयार किया गया है, जो 11 सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटी पंजीकरण आदि।

शून्य शुल्क:

- 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनियों के लिए अब शून्य शुल्क लिया जाता है।

केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी):

- नाम आरक्षण और निगमन के लिए सीआरसी स्थापित किया गया है।

एलएलपी निगमन फार्म (एफआईएलएलआईपी):


- एलएलपी निगमन फार्म (एफआईएलएलआईपी) को सीबीडीटी के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि पैन/टैन एलएलपी के निगमन के समय प्रदान किया जा सके।

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी):

- सीपीसी को 16 फरवरी 2024 से शुरू किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक ई-फॉर्मों के तेज़ और केंद्रीकृत संचालन में सहायता करता है।

स्टार्टअप इंडिया पहल:

- स्टार्टअप मान्यता आवेदन प्रक्रिया को स्व-प्रमाणन के साथ सरल किया गया है।
- स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाई गई है।



किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रमुख सुधार

➔ चर्चा में क्यों?

- कृषि क्षेत्र के समग्र विकास से संबंधित जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रमुख सुधार

उद्देश्य:

- भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत कार्यनीति की पहचान की है, जो निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है:

- फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि
- उत्पादन लागत में कमी लाना
- किसानों को लाभकारी रिटर्न
- कृषि विविधीकरण
- फसलोपरांत मूल्य संवर्धन
- जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन और फसल हानि में कमी

प्रमुख योजनाएँ:

- भारत सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों को वैकल्पिक व्यवसायिक रास्ते उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ शुरू की हैं:

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
- कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

Daily Current Affairs

Date : 14 August, 2025



- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
 - नमो ड्रोन दीदी
 - राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
 - प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
 - स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीशोर)
 - प्रति बंदू अधिक फसल (पीडीएमसी)
 - परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
 - मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
 - वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
 - कृषि वानिकी
 - फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
 - कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमई)
 - बीज एवं रोपण सामग्री संबंधी उप-मिशन (एसएमएसपी)
 - समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
 - एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
 - राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
 - राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
 - डिजिटल कृषि मिशन
 - राष्ट्रीय बांस मिशन
- इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेप से उत्पादकता सुधारना और कृषक समुदाय को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है।

डिजिटल कृषि मिशन

➔ चर्चा में क्यों?

- डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा लोकसभा में लिखित उत्तर में प्रदान की गई।

मिशन की स्वीकृति और उद्देश्य

- मंजूरी: सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत।
- मुख्य उद्देश्य:
 - कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण।
 - एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (KDSS), और व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफ़ाइल मानचित्र का विकास।
 - सुदृढ़ डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना।
 - किसानों को फसल संबंधी विश्वसनीय, समय पर और स्थान विशेष की जानकारी उपलब्ध कराना।

एग्रीस्टैक की मुख्य संरचना

- तीन मूलभूत रजिस्ट्री/डेटाबेस:
 1. भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र
 2. फसल बुआई रजिस्ट्री
 3. किसान रजिस्ट्री -
 - किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, जोत भूमि और बोई गई फसल का डेटा।
 - डिजिटल पहचान स्थापित व सत्यापन के लिए आधार।
 - ऋण, बीमा, खरीद और अन्य सेवाओं में सहायता।

➤ डिजिटल अर्थव्यवस्था तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाना (ऑनलाइन खरीद-बिक्री)।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली

• प्रत्येक कृषि भूखंड की सटीक व वास्तविक समय फसल जानकारी उपलब्ध कराती है।

कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (KDSS)

■ डेटा समेकन: भू-स्थानिक एवं गैर-भू-स्थानिक डेटा।

■ डेटा स्रोत:

- उपग्रह सूचना
- मौसम, मिट्टी, फसल लक्षण
- जलाशय व भूजल डेटा
- सरकारी योजनाओं की जानकारी

■ प्रमुख सुविधाएं:

- फसल मानचित्र, मृदा मानचित्र
- स्वचालित उपज अनुमान मॉडल
- सूखा/बाढ़ निगरानी प्रणाली

भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI) परियोजना

■ लक्ष्य:

- 1:10,000 पैमाने पर ग्रामीण स्तर पर मृदा सूची तैयार करना।
- उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह व जमीनी आंकड़ों का उपयोग।
- मानकीकृत मृदा मानचित्र प्रदान करना।

■ उद्देश्य:

- टिकाऊ कृषि के लिए भूमि उपयोग एवं फसल नियोजन को वैज्ञानिक बनाना।


Daily Current Affairs

Date : 14 August, 2025



प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) योजना (वर्ष 2015-16 से)

- प्रकृति: केंद्र प्रायोजित योजना।
- केन्द्रित: सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप एवं स्प्रींकलर)।
- **वित्तीय सहायता:**
 - छोटे व सीमांत किसान: 55% सब्सिडी
 - अन्य किसान: 45% सब्सिडी
 - सीमा: प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर।
- राज्य सहायता: राज्य सरकारें अतिरिक्त सब्सिडी भी देती हैं।



हरित रोजगार सृजन - संसद प्रश्न

➔ चर्चा में क्यों?

- इस संदर्भ में जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

➔ मुख्य बिंदु:

हरित रोजगार सृजन की क्षमता:

- नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत कृषि, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं में हरित कुशल कार्यबल को शामिल करने की क्षमता है।
- मरम्मत, नवीनीकरण/पुनर्चक्रण पर आधारित नए उत्पाद/सेवाएँ नए बाजार प्रदान करते हैं, जिससे विविध प्रकार की नौकरियाँ उत्पन्न होती हैं।
- उदाहरण: 10,000 टन अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से लगभग 115 नौकरियाँ सृजित होती हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र और सरकार की भूमिका:

- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का योगदान महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण क्षेत्र में।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कचरा संग्रहण, छंटाई और परिवहन में प्रशिक्षित किया गया है, जैसे:
 - केरल (हरित कर्म सेना)
 - छत्तीसगढ़ (स्वच्छता दीदी)
 - ओडिशा (महिला स्वयं सहायता समूह)
 - महाराष्ट्र (स्वच्छ सहकारी समिति)

कौशल विकास और प्रशिक्षण:

- विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- 30 से अधिक सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।
- 4 लाख से अधिक उम्मीदवारों को स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स के तहत प्रमाणित किया गया है।

सर्कुलर इकोनॉमी और रोजगार अवसर:

- मिशन लाइफ और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों - reduce, मरम्मत करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना - के महत्व को बल दिया गया है।
- वर्ष 2030 और 2050 में अनुमानित अपशिष्ट उत्पादन को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाने का एक बड़ा अवसर है।
- सर्कुलर इकोनॉमी में 50 लाख मौजूदा रोजगारों में अतिरिक्त 33 लाख रोजगार सृजित किए जा सकते हैं।

11 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान:

- सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 11 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> ठोस अपशिष्ट | <input type="radio"/> प्लास्टिक अपशिष्ट |
| <input type="radio"/> ई-कचरा | <input type="radio"/> बैटरी अपशिष्ट |
| <input type="radio"/> तरल अपशिष्ट | <input type="radio"/> प्रयुक्त तेल |
| <input type="radio"/> बेकार टायर | <input type="radio"/> जीवन-अंत वाहनों का अपशिष्ट |
| <input type="radio"/> धातु स्क्रेप | <input type="radio"/> निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट |
| <input type="radio"/> खतरनाक अपशिष्ट | |

Daily Current Affairs

Date : 14 August, 2025



विनियम और ईपीआर (Extended Producer Responsibility):

- ईपीआर ढाँचे (Extended Producer Responsibility) के कार्यान्वयन से अपशिष्टों के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए एक स्थायी इकोसिस्टम बनता है।
- इससे राजस्व प्राप्त होता है और अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र का औपचारिक क्षेत्र में एकीकरण बढ़ता है।
- ईपीआर से हरित रोजगार के सृजन के अवसर उपलब्ध होते हैं।



जलवायु-लचीला रोजगार योजना

→ चर्चा में क्यों?

- इस संदर्भ में जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

उद्देश्य:

- भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और उद्योग-आधारित कौशल से लैस करने के लिए कई योजनाओं के तहत कौशल विकास, पुनः कौशल, और अप- कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और कृषि संकटों से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

मुख्य योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
- जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)
- राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)
- इन योजनाओं के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, तापीय तनाव, और फसल नष्ट होने से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जाता है।

कौशल विकास मिशन (एसआईएम):

- कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-आधारित कौशल से प्रशिक्षित करना है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन और फसल नष्ट होने जैसी समस्याओं से निपट सकें।

- 2030 तक कृषि क्षेत्र में 10,87,743 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

जलवायु लचीलापन और टिकाऊ कृषि के लिए महत्वपूर्ण नौकरी भूमिकाएँ:

- जलवायु परिवर्तन और जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधक
- जैविक उत्पादक
- मधुमक्खी पालक
- सौर पंप तकनीशियन
- केंचुआ खाद उत्पादक
- हाइड्रोपोनिक्स तकनीशियन
- परिशुद्ध कृषि तकनीशियन
- किसान ड्रोन संचालक
- मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला विश्लेषक
- समूह कृषि व्यवसायी

कौशल विकास के लिए ग्रीन जॉब्स काउंसिल:

- ग्रीन जॉब्स के लिए कौशल परिषद (एससीजीजे) का गठन उद्योग जगत के नेताओं के नेतृत्व में किया गया है।
- इसका कार्य कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना और कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करना है।

Daily Current Affairs

Date : 14 August, 2025




स्किल काउंसिल द्वारा विकसित योग्यताएँ:

- एससीजीजे ने एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित 58 योग्यताएँ विकसित की हैं, जिनमें सोलर पीवी, ग्रीन हाइड्रोजन, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव ऊर्जा, जीएचजी लेखांकन जैसी योग्यताएँ शामिल हैं।

प्रशिक्षण और उम्मीदवारों की संख्या:

- एससीजीजे ने 6.63 लाख उम्मीदवारों को ग्रीन स्किल्स ट्रेक्स के तहत प्रशिक्षित किया है।
- ये प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएमकेवीवाई, सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम, और राज्य मिशनों के तहत प्रदान किए जाते हैं।



खेल

एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 : भारत का प्रदर्शन

→ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की टीमों ने दोनों आयु वर्गों में कुल 27 पदक जीते।



→ मुख्य बिन्दु :

श्रेणी	स्थान	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल पदक
अंडर-19	दूसरा स्थान	3 स्वर्ण	7 रजत	4 कांस्य	14 पदक
अंडर-22	चौथा स्थान	1 स्वर्ण	4 रजत	8 कांस्य	13 पदक

अंडर-19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 :

- स्वर्ण पदक विजेता : निशा (महिला 54 किग्रा), मुस्कान (महिला 57 किग्रा) और राहुल (पुरुष 75 किग्रा)।
- रजत पदक विजेता : विनी (महिला 60 किग्रा), निशा (महिला 65 किग्रा), आरती (महिला 75 किग्रा), कृतिका (महिला 80 किग्रा), प्राची (महिला 80 किग्रा), मौसम (महिला 65 किग्रा) और हेमंत (पुरुष 90 किग्रा)।

अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 :

- स्वर्ण पदक विजेता : रितिका (महिला 80 किग्रा) अंडर-22 में कज़ाकिस्तान की एस्सेल टोकटासिन को हराकर एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहीं।
- रजत पदक विजेता : यात्री पटेल (महिला 57 किग्रा), प्रिया (महिला 60 किग्रा), नीरज (पुरुष 75 किग्रा) और इशान कटारिया (पुरुष 90 किग्रा)।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

- वर्ष 2025 की शुरुआत में, भारत की युवा अंडर-15 और अंडर-17 टीमों ने एशियाई चैंपियनशिप में कुल 43 पदक जीते, जिनमें अंडर-15 टीम ने सबसे अधिक 11 स्वर्ण पदक जीते थे।